न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हेमन्त कुमार घनघोर आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या–16/2021

1– भीकम पुत्र गुलकन्दी जाति जाटव निवासी ग्राम बागथर तहसील बसेडी हाल आबाद सैंपऊ धौलपुर।

––वादीगण

बनाम

1–देवेन्द्र सिंह]
2–शिवदत्त] पुत्रगण कृष्णदत्त जाति कुशवाह निवासी नगला तलैया दौनारी तहसील सैंपऊ
3–धर्मेन्द्रसिंह पुत्र हरभजनसिंह जाति पंजाबी निवासी सरदारपुरा बसईसमान्ता तह0 व जिला धौलपुर।
4– महेन्द्र सिंह पुत्र जनकसिंह जाति ठाकुर निवासी सैंपऊ तहसील सैंपऊ धौलपुर।

––प्रतिवादीगण

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

––तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्वत्व घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा अधीन धारा 88,188 राज0 का0 अधिनियम

उपस्थिति–श्री विष्णु कुमार एडवोकेट –वादीगण की ओर से

दिनांक 19.2.2025

निर्णय

वादीगण की ओर से यह दावा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 436 के खसरा नम्बर 3886/3328 रकवा 0.1138 हे0 स्थित ग्राम सैंपऊ न0 1 तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर है । उक्त विवादित कृषि भूमि में पूर्व खातेदार रामस्वरूप पुत्र मोहनलाल जाति बघेला निवासी ग्राम सैंपऊ खसरा सं0 3328 रकवा 0–13 विस्वा के एकान्तिक खातेदार कृषक थे जिन्होने अपनी अधिकार खातेदारी कृषि भूमि से एक भूखण्ड हिस्सा 225/1963 केता साहबसिंह पुत्र इन्द्रभान जाति खटीक निवासी सैंपऊ को जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख मय नक्शा विकय किया जिसकी पैमाइश 45x45वर्ग फीट जो मुख्य सडक धौलपुर भरतपुर से 50 फीट पटरी छोडकर है जिसकी चतुर्थ सीमाएं उत्तर में पटरी 50 फुट वाद सडक धौलपुर–भरतपुर दक्षिण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

दिशा में खेत गिर्राज गोस्वामी, पूर्व दिशा में शेष खेत 3328 और पश्चिम दिशा में खेत हरीसिंह नाई है उक्त भूखण्ड पर केता ने उसी दिवस आधिपत्य प्राप्त किया तथा अधिपत्य को स्वीकार करते हुए राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 1256 दिनांक 20.4.2005 स्वीकार किया गया जिसे केता द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विलेख दिनांक 6.6.2006 को वादी भीकम पुत्र गुलकन्दी जाति जाटव ने कय किया गया और तभी से आज तक वादी उपरोक्त भूमि पर एकान्तिक आधिपत्यधारी होकर उपयोग–उपभोग निर्वाद रूप से करता चला आ रहा है। तथा अपनी काफी पूंजी व श्रम लगाकर पुख्ता मकान का निर्माण कर लिया है जिसमें वादी परिवार सहित निवास कर रहा है। विवादित कृषि भूमि से मूल कृषक रामस्वरूप पुत्र मोहनलाल द्वारा शेष जमीन का हिस्सा 1738/1963 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख केता महेन्द्र सिंह पुत्र जनकसिंह एवं धर्मेन्द्रसिंह पुत्र हरभानसिंह पंजाबी को बराबर भाग से विक्रय कर दिया जिसके अधीन नामान्तकरण संख्या 1734 दिनांक 5.4.2007 को राजस्व अभिलेख में स्वीकार किया गया तथा केतागण प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से साजकर चुपचाप बिना सूचना दिए विवादित खसरा न0 से तीन खसरा नम्बरान का निर्माण किया जिसमें 3328/1 रकवा 0–01 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता हेतु समर्पित किया एवं 3328/2 रकवा 0–03 बारानी दोयम को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने बराबर भाग में स्वयं के खाते में कराई एवं शेष क्षेत्रफल का नम्बर 3328/3 रकवा 0–09 विस्वा प्रतिवादी संख्या 3,4 हिस्सा 1136/1361 एवं शेष 225/1361 भाग का वादी के स्थान पर साहबसिंह पुत्र इन्द्रभानसिंह दर्ज किया गया। उसके उपरान्त जमाबन्दी सम्बत 2067 से 2070 में वादी (भीकम) का नाम साहबसिंह के स्थान पर अंकित किया गया है। विवादित आराजी से वादी के पीछे खसरा नम्बर 3886/3328 रकवा 0–09 विस्वा भूमि में प्रतिवादी सं 3,4 ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर वादी की प्रविष्टियॉ बतौर सहखातेदार सहखाते व हिस्सा 225/1361 को विलोपित अवैध रूप से करा दिया जो कि वादी के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी है। जिसे चैलेन्ज करने का वादी अधिकारी है।उपरोक्त विवादित कृषि भूमि से नवनिर्मित खसरा न0 3386/3328 से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को व हिस्सा बराबर 22/225 , 22/225 अवैध रूप से अन्तरण कर दिया गया है जिसका नामान्तकरण भी राजस्व अभिलेख में साजिशन कर दिया गया है जो वादी के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी है। विवादित कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की जानकारी होने पर वादी ने लगभग 15 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण से प्रविष्टि दुरूस्त कराने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण विवादित कृषि भूमि में वादी के स्वत्व को गलत प्रविष्टियों के आधार पर अन्यत्र विक्रय करने की धमकी दी जिससे न्यायालय श्रीमान को क्षेत्राधिकार में वादकरण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अपने वादपत्र के अन्त में निवेदन किया है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित भूमि वर्तमान खसरा संख्या 3886/3328 रकवा 0–09 वि0 (0.1138हे0) में वादी को हिस्सा 225/1361 का स्वत्वधारी खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख में अंकित गलत प्रविष्टियों को निरस्त कर संशोधित कर वादी को बतौर सहखातेदार व हिस्सा 225/1361 का सहखातेदार काश्तकार अंकित कराया जावे, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा से हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द किया

खण्ड अधिकारी

जावे की वादी को विवादित कृषि भूमि में उसके स्वत्व की भूमि के एकान्तिक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न न करें न ही वादी को बलपूर्वक बेदखल करें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलव किया गया । प्रतिवादीगण 1 लगा 4 बाबजूद तामील उप0 नहीं आने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 471 संवत 2059–2062 वाके ग्राम सैंपऊ न0 1 प्रदर्श.1, नकल नामान्तकरण संख्या 1638 शामिल जमाबन्दी 2067 –70 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 495 संवत 2063–2066 वाके ग्राम सैंपऊ न0 1 प्रदर्श.3, नकल नामान्तकरण संख्या 2096 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 392 संवत 2067–70 वाके ग्राम सैंपऊ न0 1 प्रदर्श.5, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 412 संवत 2071–74 वाके ग्राम सैंपऊ न0 1 प्रदर्श.6, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 425 संवत 2076–69 वाके ग्राम सैंपऊ न0 1 प्रदर्श.7 तथा वयनामा मय नक्शा दिनांकित 6.6.2006 पेश किए है। तथा एवं मौखिक साक्ष्य में पी डब्ल्यू 1 भीकमसिंह, पी डब्ल्यू 2 रामेश्वर, पी.डब्ल्यू 3 विजय सिंह के बयान दर्ज कराये हैं ।

विद्वान अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य एवं दस्तावेजों के अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि नकल जमाबन्दी खाता संख्या 471 संवत 2059–2062 वाके ग्राम सैंपऊ न0 1 में रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 6.6.2006 के आधार पर वादी भीकम पुत्र गुलकन्दी 225/1963 का खातेदार काश्तकार दर्ज है। तथा नामान्तकरण संख्या 1638 शामिल जमाबन्दी 2067–70 प्रदर्श 2 में भी भीकम पुत्र गुलकन्दी जाति जाटव निवासी वागथर तह. बसेडी हाल कस्बा सैंपऊ तहसील सैंपऊ हि0 225/1963 दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 495 संवत 2063–2066 वाके ग्राम सैंपऊ न0 1 में वादी का नाम हिस्सा अनुसार दर्ज है। लेकिन नकल नामान्तकरण संख्या 2096 समर्पण का नामान्तकरण स्वीकार करते हुए उक्त खसरा नम्बर 3328 के तीन भाग कमशः 3328/1 रकवा 0–01 विस्वा तथा 3328/2 रकवा 0–03 विस्वा तथा 3328/3 रकवा 0–09 विस्वा में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम स्वीकार करते हुए वादी का नाम विलोपित कर दिया गया है। तथा नकल जमाबन्दी खाता संख्या 392 संवत 2067–70 वाके ग्राम सैंपऊ न0 1 में वादी का नाम अंकित है तथा नई जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 412 बनाते समय नामान्तकरण संख्या 2096 में वादी का नाम न होने से त्रुटिवश विलोपित कर दिया गया है। तथा इसी प्रकार वर्तमान जमाबन्दी में संवत 2076–2079 में भी पुरानी प्रविष्टियां दोहराते हुए वादी का नाम विलोपित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी का नाम बिना किसी अधिकार/आधार के विलोपित किया गया है। जो कि अनुचित है। वादी के कथनों को प्रतिवादीगण ने कोई चुनौती भी नहीं दी है । वादी अपने वाद को सिद्व करने में पूर्णतः सफल रहा है । ऐसी स्थिति मे हम दावा वादी डिकी किया जाना उचित समझते हैं ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ